IN THE COURT OF SUB DIVISIONAL JUDICIAL MAGISTRATE, MOHANIA
Present : Ankita Raj, SDJM, Mohania
Durgawati PS case no. 61/2000, Reg no. 3464/2022
State of Bihar
Vs
Ramanand Yadav.

27.07.2026	अभिलेख आज कार्यालय से प्रस्तुत हुआ। अभिलेख अवलोकन से यह प्रकट होता है कि यह वाद सूचक के लिखित बयान के आधार पर भा.द.वि. की धारा 279, 337 के तहत अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 19.05.2000 को प्राथमिकी दर्ज किया गया। प्राथमिकी के लिए दिये गये लिखित बयान में वर्णित कथन, आरोप पत्र एवं केस दैनिकी के आधार पर अभियुक्त के विरूध दिनांक 14.08.2000 को भा.द.वि. की धारा 279, 337 में संज्ञान लिया गया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त पर यह आरोप है कि वह Truck No. HR-38 A7902 को लापरवाही से चलाते हुए मोटरसाईकिल को पीछे से धक्का मार दिया। अभियुक्त संज्ञान के पूर्व ही दिनांक 24.05.2000 को जमानत ले लिया था। तत्पश्चात अभियुक्त संज्ञान के बाद से ही लगातार अनुपस्थित है। यह अभिलेख इस न्यायालय के सबसे पुरानों वादों में से एक है, जो सन् 2000 से ही लम्बित है। जैसा कि द.प्र.स. की धारा 258 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि परिवाद से भिन्न आधार पर संस्थित किसी समन–मामले में कोई प्रथम वर्ग दण्डाधिकारी या मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की पूर्व मंजूरी से कोई अन्य न्यायिक दण्डाधिकारी ऐसे कारणों से, जो उसके द्वारा लेखबद्ध किए जाएंगे, कार्यवाही को किसी भी प्रक्रम में कोई निर्णय सुनाए बिना रोक सकता है और जहां मुख्य साक्षियों के साक्ष्य को अभिलिखित किए जाने के पश्चात् इस प्रकार कार्यवाहियां रोकी जाती हैं वहां दोषमुक्ति का निर्णय सुना सकता है और किसी अन्य दशा में अभियुक्त को छोड़ सकता है और ऐसे छोड़ने का प्रभाव उन्मोचन होगा। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा अभिलेख अवलोकन पर यह पाया गया कि इस मामले में आगे कार्यवाही जारी रखने का कोई ठोस आधार नहीं दिखता है, तथा यह अभिलेख निर्धारित समयावधि से ज्यादा समय से विचारण हेतु लम्बित चला आ रहा है। अतः द.प्र.स. की धारा 258 के प्रावधानों के तहत, इस मामले मे आगे की कार्यवाही स्थगित की जाती है और अभियुक्त को इस मामले से रिहा किया जाता है। कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि अभिलेख को निश्चित समयावधि के अन्दर अभिलेखागार में जमा कराये। लेखापित ह0/– एस.डी.जे.एम मोहनिया,कैमूर	